रजिस्टी सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2011/ज्येष्ठ 9, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 51
No. 93] DELHI, MONDAY, MAY 30, 2011/JYAISTHA 9, 1933 [N.C.T.D. No. 51

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मई, 2011

सं. फा. आईपीवी/जेआर (सी)/आर्ड./संशो./2011/146.—1 अगस्त, 2006 की अधिसूचना का आंशिक आशोधन और गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (1998 का 9) की धारा 27 के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए, गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 'विश्वविद्यालय अन्तरण' से सम्बन्धित अध्यादेश 7 के खण्ड (1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :

वर्तमान उपबन्ध	संशोधित उपबन्ध
(1)	(2)
'सामान्य परिस्थितियों में कोई भी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विद्यापीठों के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के प्रबन्धाधीन महाविद्यालयों या सम्बद्ध संस्थाओं से कोई विश्वविद्यालयीय अन्तरण अनुमत्त नहीं होगा अर्थात् अन्तर-विश्वविद्यालय अन्तरण अनुमत्त नहीं है । यह कुलपति द्वारा गठित शैक्षिक परिषद् के तीन सदस्यों की एक उपसमिति की संस्तुतियों के आधार पर कुलपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमत्त हो सकेगी ।'	सामान्य परिस्थितियों में कोई भी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय विद्यापीठों के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के प्रबन्धाधीन महाविद्यालयों या सम्बद्ध संस्थाओं से कोई विश्वविद्यालयीय अन्तरण अनुमत्त नहीं होगा अर्थात् अन्तर विश्वविद्यालय अन्तरण अनुमत्त नहीं है । यह कुलपति द्वारा गठित शैक्षिक परिषद् के तीन सदस्यों की एक उपसमिति की संस्तुतियों के आधार पर कुलपति द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमत्त हो सकेगी, शर्त यह है कि आवेदक विद्यार्थी/प्रत्याशी ने प्रथम वर्ष के दोनों सेमस्टरों का प्रत्येक पेपर/या प्रथम वर्ष के सभी पेपर अवश्य उत्तीर्ण कर लिये हों जैसा कि यह किसी विशेष कार्यक्रम पर लागू होता है । यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए कि किसी विशेष कार्यक्रम के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के बीच कोई भी अन्तर नहीं होना चाहिए इसके संबंध में अर्थ है कि कार्यक्रम का अध्ययन सतत् चलता रहता है । तथापि किसी भी परिस्थिति में जिस विद्यार्थी/प्रत्याशी की प्रथम वर्ष के किसी एक पेपर या प्रथम वर्ष के प्रथम सेमस्टर या दूसरे सेमस्टर में से किसी एक में कम्पार्टमेण्ट है उसे विश्वविद्यालय अन्तरण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

उक्त संशोधन विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में 11 फरवरी, 2011 को आयोजित प्रबन्धमण्डल की 45वीं मीटिंग में उसके द्वारा अनुमोदित किए गए हैं ।

आदेश से,
डॉ. बी. पी. जोशी, कुल सचिव

GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY

NOTIFICATION

Delhi, the 30th May, 2011

F. No. IPV/JR (C)/Ord./Amend./2011/146.—In partial modification of Notification dated the 1st August, 2006 and in pursuance of the provisions of Section 27 of the Guru Gobind Singh Indraprastha University Act, 1998 (9 of 1998), the Board of Management of the Guru Gobind Singh Indraprastha University, hereby makes the following amendments in Clause (1) of Ordinance 7 relating to 'Migration of Students' in order to maintain the academic quality of the stakeholders of the University.

Existing Provision	Amended Provision
'No migration shall be allowed from other universities/colleges to the University Schools of Studies, University maintained colleges or affiliated institutions i.e. no inter-university migration shall be allowed in normal circumstances. It can be allowed in special circumstances by the Vice-Chancellor, on the recommendations of a Sub-Committee, comprising of three members of Academic Council, constituted by the Vice-Chancellor.'	No migration shall be allowed from other universities/ colleges to the University Schools of Studies, University maintained colleges or affiliated institutions i.e. no inter-university migration shall be allowed in normal circumstances. It can be allowed in special circumstances by the Vice-Chancellor, on the recommendations of a Sub-Committee, comprising of three members of Academic Council, constituted by the Vice-Chancellor subject to the condition that the applicant student/candidate must have cleared each paper of both the semester of 1st year/or all papers of the 1st year as it applies for particular programme. It must be ensured that there should not be any gap between the 1st year and the 2nd year of a particular programme meaning thereby that the pursuance of the programme remains continuous. However, under no circumstances a student/candidate who has compartment in any one paper of the 1st year or either of the 1st or 2nd semester of the 1st year shall be permitted for migration.

The above amendments have been approved by the Board of Management in its 45th Meeting held on the 11th February, 2011 in Conference Hall of the University and the same shall come into force with effect from the date of approval by the Board of Management.

By Order,
Dr. B. P. JOSHI, Registrar

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.